

राजस्थान सरकार
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर
(जी-3, राजमहल रेजीडेन्शियल ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, जयपुर)
क्रमांक : प.1(क)()/आर.एम.एस./डीएलबी/04/पार्ट-11/2487

दिनांक : 19/06/2023

आदेश

राजस्थान नगर पालिका सेवा नियम, 1963 के नियम 28 एवं कार्मिक विभाग के आदेश संख्या प.7(3)कार्मिक/क-2/2008 दिनांक 11.09.11 एवं अ.शा.टीप सं. 4(1) कार्मिक/ क-2 / अ.प्र./2008 दिनांक 12.09.12 की पालना में लेखाकार/सहायक लेखाधिकारी-द्वितीय पद की अस्थाई वरिष्ठता सूची दिनांक 01.04.2023 की स्थिति को दर्शाते हुए निम्नानुसार जारी की जाती है। इस संबंध में किसी कार्मिक को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, तो वह इस आदेश के जारी होने की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अपनी लिखित आपत्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा।

दिनांक 01.04.2022 की स्थिति

क्र. सं.	नाम अधिकारी	जन्म तिथि	नियुक्ति दिनांक	स्थाईकरण दिनांक	योग्यता	विशेष विवरण
01.	श्री भवानी शंकर व्यास, न.पा. श्रीडूंगरगढ	02.11.78	01.04.16	01.04.17	स्नातक	सहा.लेखा.प्रथम के पद पर डेफर/सील्डकवर (वर्ष 2021-22)
02.	श्री हनुमान शर्मा, न.पा. वैर	18.03.88	01.04.18	01.04.19	स्नातक	—
03.	श्री साहब राम (अनु.जाति.) न.प. हनुमानगढ	30.06.68	19.06.18	20.06.19	हायर सैकण्डरी	—
04.	श्री जगदीश लाल, नगर पालिका, सोजत	31.12.76	15.10.19	15.10.19	स्नातक	—
05.	श्री रामलाल शर्मा, न.पा. रावतसर	04.07.75	23.01.20	23.01.20	स्नातकोत्तर, एल.एस.जी.डी.	—

(हृदेश कुमार शर्मा)

निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक : प.1(क)()/आर.एम.एस./डीएलबी/04/पार्ट-11/2488-2509 दिनांक : 19/06/2023
प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
03. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
04. आयुक्त/अधिकाधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका, समस्त राजस्थान को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि उनकी नगर निकाय में यदि कोई स्थाई लेखाकार/सहायक लेखाधिकारी-द्वितीय कार्यरत है एवं उपरोक्त वरिष्ठता सूची में उसका नाम नहीं है, तो उक्त कार्मिक की निर्धारित प्रपत्र में सूचना तैयार कर लेखाकार/सहायक लेखाधिकारी-द्वितीय के पद पर नियुक्ति/पदोन्नति एवं स्थाईकरण के आदेश की प्रति के

साथ शैक्षणिक योग्यता संबंधी दस्तावेजों व सेवापुस्तिका की प्रमाणित फोटो प्रति अविलम्ब भिजवावें, ताकि प्राप्त दस्तावेजों के परीक्षणोपरान्त उक्त कार्मिक का नाम जारी की जाने वाली स्थाई वरिष्ठता सूची में अंकित किया जा सके।

05. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक) निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
06. श्री..... सहायक लेखाधिकारी-द्वितीय नगर निगम/परिषद/पालिका.....।
07. निजी/सुरक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक